न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–60/2018

टुनु गिरी.....वादी

बनाम

मुकेश गिरी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
21.07.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 31.05.2023 अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल आवेदन के आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादी का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद बंटवारा हेतु वादी द्वारा लाया गया है। प्रतिवादी सं0–01 ता 03 तथा प्रतिवादी सं0–08 एवं 09 वर्तमान में वादग्रस्त भूमि में जो मुल्यवान घरारी भूमि है, पर निर्माण सामग्री इकट्ठा कर रहे है तथा वादग्रस्त भूमि की प्रकृति एवं संरचना बदलना चाहते है तथा घरारी भूमि पर नया पक्का निर्माण करना चाहते है तथा वादी को अपने हिस्से से वंचित करना चाहते है। वर्तमान में वादग्रस्त संपति न्यायालय के संरक्षण में है। वादग्रस्त संपति की वर्तमान वस्तुस्थिति न्यायालय के समक्ष आना आवश्यक है। अन्यथा वाद की बहुलता उत्पन्न हो जायेगी। अधिवक्ता आयुक्त के मद में होने वाले व्यय को वादी वहन करने को तैयार है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी का आवेदन स्वीकार कर अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने की कृपा करे। प्रतिवादी सं0–01 ता 03 एवं प्रतिवादी सं0–08 एवं 09 की ओर से दिनांक 12.07.2023 को वादी के आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया तथा कहा गया कि वादी का आवेदन कानून एवं तथ्य दोनों ही दृष्टिकोण से खारिज होने योग्य है। वादी को कोई अधिकार आवेदन लाने का नही है। वादी केवल वर्तमान वाद को लंबित रखना चाहता है। इसीलिए प्रस्तुत आवेदन दिया गया है। न्यायालय द्वारा वादी के द्वारा दिये गये आवेदन जिसके द्वारा वादी यथास्थिति के आदेश को बढाना चाहता था, खारिज किया गया है। वादी के द्वारा एक अन्य निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक 07.02.2023 को दाखिल किया गया है। वादी न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग करके अभिलेख पर साक्ष्य एकत्रित करना चाहता है। अतः वादी का आवेदन खारिज किया जाय।	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>बंटवारा वाद सं0–60/2018</u>

टुनु गिरी.....वादी

बनाम

मुकेश गिरी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 21.07.2023	उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा बंटवारा तलब वादपत्र के मद न0–02 वाली भूमि पर अपने 6/32 हिस्सा घोषित करते हुये अपना अलग तख्ताबंदी करने हेतु लाया गया है। विषयगत भूमि संयुक्त स्वामित्व, संयुक्त दखल कब्जा वाली भूमि है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का हित निहित है। वाद लंबन के दौरान वादग्रस्त भूमि का संरक्षण करना न्यायालय का प्रथम कर्तव्य है। ऐसी दशा में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान में वस्तु स्थिति क्या है? इस संबंध में अधिवक्ता आयुक्त से प्रतिवेदन की माँग किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादी अधिवक्ता आयुक्त के खर्चे को वहन करने को तैयार है। अतः वादी का आवेदन दिनांक 31.05.2023 को स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार व्यवहार न्यायालय, नरकटियागंज के स्थानीय विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक कुमार को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें आदेशित किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि की वस्तु स्थिति के संबंध में फोटोग्राफ्स के साथ प्रतिवेदन समर्पित करें। अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के मद में होने वाला व्यय मो0–2500/– (दो हजार पाँच सौ) रूपये वादी के द्वारा वहन किया जायेगा। अधिवक्ता आयुक्त को निर्देश दिया जाता है कि वह दो सप्ताह के अंदर अपना प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करें। वाद दिनांक 10.08.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	